तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज तुलसा राम वगैरा बनाम वेनाराम वगैरा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम । प्रकरण सख्या 81/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/9/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण द्वारा ग्रम डोली, तहसील लूणी में स्थित खसरा संख्या 376 में प्रतिवादीगण संख्या एक एवं दो के नाम से दर्ज रकबे को वादीगण संख्या एक से तीन ने अपने नाम से खातेदार घोषित करने हेतु वाद पेश किया गया । उक्त वाद में प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार डिकी पारित करने हेतु निवेदन किया तथा लिखित में राजीनामा पेश किया गया । राजीनामा अनुसार ग्राम डोली, तहसील झवर के खसरा संख्या 376 में से रकबा 10 बिस्वा भूमि में जो बस्तीराम खातेदार हैं उसके स्थान पर वादी संख्या एक तुलसाराम को खातेदार घोषित करवाने हेतु सहमत हैं तथा प्रतिवादी संख्या दो के नाम से ग्राम डोली तहसील झंवर के खसरा संख्या 376 में रकबा 10 बिस्वा भूमि जो प्रतिवादी संख्या दो के नाम से दर्ज हैं उसके स्थान पर वादी संख्या दो एवं तीन को खातेदार घोषित करने बाबत् सहमत हैं । ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाता हैं तथा आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम डोली तहसील झंवर के खसरा संख्या 376 में प्रतिवादी संख्या एक के नाम से जो खातेदारी में रकबा दर्ज हैं उसके स्थान पर वादी संख्या एक को सम्पूर्ण रकबे का खातेदार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या दो के नाम से जो खातेदारी में रकबा दर्ज हैं उसके स्थान पर वादी संख्या दो एवं तीन को सम्पूर्ण रकबे का संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाता हैं । तहसीलदार झंवर आदेश अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें । आदेश आज लिखवाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों । कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	—

Scanned by CamScanner